UPRN010038722026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग),
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।

जमानत प्रार्थनापत्र सं०–1508/2026

गौरव सिंह उर्फ भानू प्रताप पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम इकघरा, थाना–रूरा, जिला–कानपुर देहात।

.....आवेदक/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार **.....अभियोजन पक्ष।**

मु०अ०सं०–99/2026
धारा–303(2),317(2) बी०एन०एस०।
थाना–डेरापुर,जिला–कानपुर देहात।

दिनांक–13.07.2026

आवेदक/अभियुक्त गौरव सिंह उर्फ भानू प्रताप की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० –99/2026, अन्तर्गत धारा–303(2),317(2) बी०एन०एस०, थाना–डेरापुर, जिला–कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत किया गया है, जो महेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह के शपथपत्र से समर्थित है।

जमानत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा हमीद अली पुत्र मुंशी अली निवासी ग्राम अगवासी, थाना–डेरापुर, जिला–कानपुर देहात का मूल निवासी है। वह अपने गांव के बाहर सरकारी बने पानी की टंकी पर चौकीदारी करता है। दिनांक–29.03.2026 को समय करीब रात्रि 12:15 बजे सरकारी बने पानी की टंकी पर रखे दो बैट्रा व एक इन्वर्टर नहीं मिले। अतः याचना की गयी है कि उसकी रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जावे।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है बल्कि पुलिस द्वारा वादी से मिलकर गलत तरीके से झूठा फंसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। बरामदगी के समय जनता का कोई गवाह नहीं है। आवेदक/अभियुक्त के पास से चोरी का कोई भी सामान बरामद नहीं हुआ है। प्रस्तुत मामले में सहअभियुक्तगण की जमानत न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०–14 से दिनांक–02.07.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। अभियुक्त का रोल भी सहअभियुक्त के समान है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है इसके अलावा अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और न ही विचाराधीन है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक–04.06.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक/अभियुक्त जमानत होने पर जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा वह प्रत्येक तिथि को हाजिर अदालत आता रहेगा। अतः आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जावे।

उक्त जमानत प्रार्थनापत्र के संबंध में संबंधित थाने से प्रस्तरवार आख्या प्राप्त हुयी।

राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) के द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुये तर्क दिया गया है कि थाना अकबरपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्त को रात में चोरी का सामान ले जाते हुये गिरफ्तार किया गया है तथा अभियुक्त के पास से चोरी की बैट्रिया बरामद की गयी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त को जिला कारागार में निरूद्ध किया गया है। यदि अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया गया तो वह जमानत की शर्तों का दुरूपयोग करेगा तथा समय से न्यायालय में हाजिर नहीं होगा। अतः अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

क्रमशः पेज सं०–2 पर

Digitally signed by ANAND PRIYA GAUTAM
Date: 2026.07.13 16:10:00 IST
Reason: Bail.
Location: Add.District and Sessions Court/FTC(14th.Fin.Comm)

मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा–303(2) बी०एन०एस० के अन्तर्गत अज्ञात चोर के विरूद्ध दो बैट्रा व एक इन्वर्टर की चोरी के बावत दिनांक–02.06.2026 को समय 23:03 बजे पंजीकृत करायी गयी है जबकि घटना दिनांक–29.03.2026 की रात्रि 00:15 बजे का होना कहा गया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट 02 माह विलम्ब से पंजीकृत करायी गयी है। दौरान विवेचना अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया है। थाने से प्राप्त अभियुक्त गौरव सिंह उर्फ भानू प्रताप की सी०सी०टी०एन०एस० कैस रिपोर्ट दिनांकित – 06.07.2026 के अनुसार प्रस्तुत मामले के अतिरिक्त थाना–अकबरपुर में मु०अ०सं०–238/2026 का अभियोग पंजीकृत होना पाया जाता है। अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के किसी मामले में दोषसिद्धि के संबंध में कोई प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। घटना का कोई चश्मदीद साक्षी होना नहीं पाया जाता है। अभियुक्त प्रस्तुत मामले में दिनांक–04.06.2026 से जिला कारागार कानपुर देहात में निरूद्ध है। जरिये आरोप–पत्र प्रस्तुत मामले की विवेचना समाप्त की जा चुकी है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचना तथा प्रस्तुत मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर विचार करने के उपरान्त न्यायालय इस मत की है कि मुकदमें के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त गौरव सिंह उर्फ भानू प्रताप की ओर से मु०अ०सं०–99/2026, अन्तर्गत धारा–303(2),317(2) बी०एन०एस०, थाना–डेरापुर, जिला–कानपुर देहात के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु०–50,000/–रू०(पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान धनराशि के दो सक्षम प्रतिभू संबंधित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर एवं निम्न आशय का अण्डरटेकिंग दाखिल करने पर उसे दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किया जायेः–

(1). कि वह विचारण में न्यायालय का सहयोग करेगा। आरोप विरचित किये जाने के समय, धारा–313 के बयान अंकित करने की तिथि एवं निर्णय की तिथि पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि न्यायालय किसी भी स्तर पर यह पाता है कि अभियुक्त जानबूझकर अथवा बिना पर्याप्त कारण के अनुपस्थित हो रहा है तो उस स्थिति में न्यायालय जमानत के व्यतिक्रम का मामला मानते हुये उसके विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

(2). कि वह प्रत्येक नियत तिथि को स्वयं अथवा जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित रहेगा।

(3). कि वह किसी साक्षी को डरायेगा व धमकायेगा नहीं और न ही किसी साक्ष्य को प्रभावित करेगा।

(4). कि वह जमानत पर रिहा होने के उपरान्त किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

<u>दिनांक–13.07.2026</u>

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
त्वरित न्यायालय(14 वाँ वित्त आयोग)
रमाबाई नगर(कानपुर देहात)।